

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या: 1प्रा0आ0-16/2008.1502/आ0प्र0,

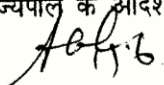
पटना-15, दिनांक- 13/6/08

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए “जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i)	जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्ता	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष जिला परिषद	-	सह-अध्यक्ष
(iii)	पुलिस अधीक्षक	-	पदेन सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	पदेन सदस्य
(v)	उप विकास आयुक्त	-	पदेन सदस्य
(vi)	अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	-	पदेन सदस्य
(vii)	जिला के वरीयतम अभियंता	-	पदेन सदस्य

- (2) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 13/6/08

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-13/6/08

प्रतिलिपि: सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार अग्रवाल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-13/6/08

प्रतिलिपि: सचिव, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण कुमार अग्रवाल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-13/6/08

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय तथा विभाग को 100 (एक सौ) प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(कृष्ण कुमार अग्रवाल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-13/6/08

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण कुमार अग्रवाल)

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

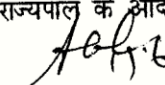
संख्या: 1प्रा0आ0-16/2008.1502/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-13/6/08

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए “जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i)	जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्ता	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष जिला परिषद	-	सह-अध्यक्ष
(iii)	पुलिस अधीक्षक	-	पदेन सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	पदेन सदस्य
(v)	उप विकास आयुक्त	-	पदेन सदस्य
(vi)	अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	-	पदेन सदस्य
(vii)	जिला के वरीयतम अभियंता	-	पदेन सदस्य

- (2) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1502/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-13/6/08

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण कुमार अग्रवाल)
सरकार के उप सचिव